न्यायालय अपर जिला मजिस्ट्रेट,बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी– श्री राजेन्द्र सिंह चांदावत, आर.ए.एस.

फौजदारी विविध प्रकरण संख्या 06/2017

सायल	बनाम	गैरसायल
जिला पुलिस अधीक्षक, बाड़मेर		प्रेमसिंह उर्फ उकिया पुत्र अमरसिंह जाति रावणा राजपूत निवासी शिव, पुलिस थाना शिव जिला बाड़मेर

परिवाद अन्तर्गत धारा 3 राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम,1975

उपस्थितः– 1. श्री अभियोजन अधिकारी सायल की ओर से।
2. श्री राजेश विश्नोई, अधिवक्ता गैर सायल की ओर से।

निर्णय

दिनांक : 27.04.2026

1. सायल की ओर से दिनांक 31.05.2016 को गैर सायल प्रेमसिंह उर्फ उकिया पुत्र अमरसिंह जाति रावणा राजपूत निवासी शिव, पुलिस थाना शिव जिला बाड़मेर के विरूद्ध राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम, 1975 की धारा 2/3 के अर्न्तगत परिवाद प्रस्तुत करते हुए अवगत कराया कि गैर सायल आले दर्जे का बदमाश व शराब तस्कर है। इसकी आपराधिक गतिविधियां दिन प्रतिदिन बढती जा रही है जिस पर अंकुश लगाना निहायत ही जरुरी है। उक्त शक्स आदले दर्जे का शराब तस्कर व झगडालू प्रवृति का व्यक्ति है, जो अपनी स्वार्थ सिद्धी करने व वर्चस्व कायम करने के लिए शराब तस्करी व लडाई–झगडा को अपना पैशा बना रखा है। यदि कोई व्यक्ति इस बदमाश का विरोध करता है, तो यह बदमाश अपने सहयोगियों की सहायता से उसको धमकाता हैं। यह शक्स शराब विक्रय कर आम जनता के स्वास्थ्य को हानि पहुंचाता है तथाा आर्थिक रूप से लोगों को कमजोर बनाता है। ऐसे बदमाश व समाज कंटक का समाज में रहने से और भी नये लड़के इसकी संगत में आकर अपराध कर सकते हैं। ऐसे गुण्डा तत्व को जिले से बेदखल करना निहायत ही आवश्यक है। तथा इस बदमाश से आमजन इतना भयभीत हैं कि इसके खिलाफ गवाही देने से कतराता है, अथवा रिपोर्ट करने के लिए कोई भी सामने नहीं आता हैं। उक्त शक्स गैर सायल

अपर कलक्टर बाड़मेर
(ए.डी.एम.)

राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम, 1975 की धारा 2 के खण्ड (iii) में परिभाषित श्रेणी में आता है। इसके विरूद्ध निम्न मुकदमे दर्ज होकर निस्तारित हुए है–

क्र. सं.	मु. न. व दिनांक	धारा	पुलिस थाना	चालान नं. व दिनांक	न्यायालय निर्णय
1	59/05.05.13	19/54 EX. Act	शिव	45/22.05.13	दि. 20.11.13 को जे. एम.कोर्ट बाडमेर द्वारा पी.ओ. एक्ट की धारा 4(1) के तहत 02 वर्ष के लिए पाबंद एवं 100 रू जुर्माना
2	202/10.11.14	19/54 EX. Act	शिव	109/30.11.14	दि. 28.03.16 को जे. एम.कोर्ट बाडमेर द्वारा पी.ओ. एक्ट की धारा 4(1) के तहत पाबंद एवं 500 रू जुर्माना
3	63/07.04.16	19/54, 14/57 Ex. Act	शिव	31/21.04.16	जैर ट्रायल

उक्त अपराधिक प्रकरणों के आधार पर गैर सायल को बाड़मेर जिले से बाहर निष्कासन किये जाने का निवेदन किया।

2. हमने प्रकरण पंजीबद्ध कर, गैर सायल को राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम की धारा 3(1) के तहत नोटिस जारी किया। गैर सायल की ओर अधिवक्ता द्वारा जवाब में जाहिर किया कि गैर सायल किसी भी गिरोह का सदस्य नहीं है तथा न ही किसी गिरोह के मुखिया के रूप मे अपराध करने का अभ्यस्त हैं। गैर सायल ने ऐसा कोई अपराध नहीं किया है जिससे आम जन गैर सायल के अपराध की वजह से डरी व सहमी हुई है। सायल की ओर से गैर सायल के विरुद्ध एकदम झूठा व नाहक परेशान करने की नीयत से यह परिवाद प्रस्तुत किया गया हैं। प्रस्तुत परिवाद में 3 प्रकरणों का विवरण दिया गया जिसमें से मात्र 2 19/54 EX. Act के तथा एक प्रकरण 19/54, 14/57 Ex. Act के तहत है। न्यायालय द्वारा उक्त प्रकरणों में पी.ओ. एक्ट की धारा 4(1) के तहत पाबंद एवं 500 रू जुर्माना कारित किया गया है तथा तीसरा प्रकरण विचाराधीन है। गैर सायल गरीब व्यक्ति है जो अपने परिवार व वृद्ध माता–पिता का भरण–पोषण करता है जिस पर परिवार की सम्पूर्ण जिम्मेवारी है। राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम के तहत गैर सायल के विरूद्ध दर्ज प्रकरण इस अधिनियम की परिभाषा में नहीं आते हैं। यदि किसी मुलजिम ने 6 माह की अवधि में तीन या तीन से अधिक प्रकरण कारावास या मृत्यु दण्ड जैसे अपराध कारित किए जाते हैं तो उसके विरूद्ध इस्तगासा पेश किया जा सकता है। गैर सायल के विरूद्ध पिछले 6 माह में

अपर कलक्टर बाड़मेर
(ए.डी.एम.)

इस तरह का कोई मुकदमा दर्ज नहीं हुआ है। इस प्रकार गैर सायल की कोई भी गतिविधि राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम की धारा 2(ख) की उप–धारा 7 व 8 के अन्तर्गत नहीं आती हैं। अतः गैर सायल के विरूद्ध की जा रही कार्यवाही निरस्त फरमाई जाए।

3. हमने दोनों पक्षों की बहस सुनी एंव न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध मौखिक एवं अभिलेखीय साक्ष्य का अवलोकन किया गया। विद्वान अभियोजन अधिकारी बाड़मेर का यह तर्क है कि गैर सायल आपराधिक गतिविधियों में लिप्त होना पाया गया है, इसके विरूद्ध 19/54, 14/57 Ex. Act के अपराध दर्ज हुए है जिसमें न्यायालय द्वारा पी.ओ. एक्ट की धारा 4(1) के तहत पाबंद एवं जुर्माना कारित कर रिहा किया गया है। अभियोजन अधिकारी के तर्कों का खण्डन करते हुए विद्वान अधिवक्ता गैर सायल का तर्क है कि पुलिस इस्तगासा में गैर सायल के विरूद्ध उल्लेखित प्रकरणों में लोक अदालत की भावना से जुर्म स्वीकारोक्ति पर मामूली जुर्माना आरोपित किया गया है, इसके अलावा कोई प्रकरण भारतीय दण्ड संहिता अथवा अन्य अधिनियम के तहत बाड़मेर या इसके बाहर किसी भी थाना में दर्ज नही हुआ हैं और न ही गैर सायल को दोषी ठहराया गया हैं। इसलिये गैर सायल के विरूद्ध कार्यवाही निरस्त की जाए। सायल पुलिस अधीक्षक बाड़मेर द्वारा अपने पत्र क्रमांक 1688 दिनाँक 13.05.2025 द्वारा गैर सायल की वर्तमान गतिविधियों एवं अन्य प्रकरणों बाबत प्रस्तुत रिपोर्ट में गैर सायल की आपराधिक गतिविधियाँ शांत होना बताया है। पत्रावली के अवलोकन से यह पाया जाता है कि गैर सायल के विरूद्ध 3 19/54, 14/57 Ex. Act के तीन प्रकरण दर्ज है। यद्यपि गैर सायल के विरूद्ध 2 प्रकरण वर्ष 2013 एवं 2014 में दर्ज हुए हैं तथा उक्त प्रकरणों में गैर सायल को लोक अदालत की भावना से जुर्म स्वीकारोक्ति पर सिद्धदोष घोषित किया गया है तथा परिवीक्षा अधिनियम के तहत परिवीक्षा का लाभ देकर रिहा किया गया है एवं 01 प्रकरण वर्ष 2016 में दर्ज हुआ जिसमें गैर सायल को जैर ट्रायल का निर्णय सुनाया गया। इसके पश्चात गैर सायल ने कोई अपराध किसी अधिनियम के अधीन कारित नहीं किया है तथा उसकी वर्तमान गतिविधियाँ शांत होना पाया गया है। गैर सायल के विरूद्ध 10 वर्ष पूर्व उसके आपराधिक कृत्यों के लिए निष्कासित किए जाने का आदेश दिया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है जबकि उसने अपने आचरण में सुधार कर वर्तमान में शांति से जीवन–यापन कर रहा है। ऐसी स्थिति में अभिलेख पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य एवं सायल की ओर से प्रस्तुत वर्तमान गतिविधियों की रिपोर्ट के आधार पर गैर सायल के विरूद्ध आरोपित, आरोप अधिनियम धारा 2 के खण्ड (ख) के उपखण्ड (V) के अधीन गैर सायल को जिले से बाहर निष्कासित किये जाने का कोई न्यायोचित आधार

अपर कलक्टर बाड़मेर
(ए.डी.एम.)

प्रमाणित नहीं हुआ है। अतः गैरसायल के विरूद्ध जारी नोटिस धारा 3(1) खारिज किया जाता है।

4. निर्णय आज दिनांक 27.04.2026 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(राजेन्द्र सिंह चांदावत)
अपर जिला मजिस्ट्रेट
बाड़मेर

अपर कलक्टर बाड़मेर
(ए.डी.एम.)